

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या- 4690/1-11-2017-17(जी)/2017
लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2017

कार्यालय ज्ञाप

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-17 (i) एवं (ii) में राज्य स्तर पर सलाहकार समिति के गठन के संबंध में प्रावधानित है कि-

17 (1) A State Authority may, as and when it considers necessary, constitute an advisory committee, consisting of experts in the field of disaster management and having practical experience of disaster management to make recommendations on different aspects of disaster management.

(2) The members of the advisory committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the State Government.

2- उक्त प्राविधानित नियमों के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य में घटित होने वाली आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिये निम्नवत् राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	नामित सदस्य
1	राहत आयुक्त - पदेन सदस्य	
2	भूकम्प	निदेशक, आई0आई0टी कानपुर द्वारा नामित भूकम्प के विशेषज्ञ प्रोफेसर से अन्यून शिक्षाविद।
3	रासायनिक आपदायें	निदेशक, आई0आई0टी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा नामित रासायनिक आपदाओं के विशेषज्ञ प्रोफेसर से अन्यून शिक्षाविद।
4	बाढ़	प्रमुख सचिव सिंचाई, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित बाढ़ प्रबन्धन का अनुभव रखने वाले मुख्य अभियन्ता से अन्यून अधिकारी।
5	रिमोट सेसिंग/ जी0आई0एस0	निदेशक, रिमोट सेसिंग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित रिमोट सेसिंग/जी0आई0एस0 का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक से अन्यून अधिकारी।
6	चिकित्सा	प्रमुख सचिव चिकित्सा, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित आपदा प्रबन्धन का अनुभव रखने वाले अपर निदेशक से अन्यून अधिकारी।

7	वित्त/बीमा	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ द्वारा नामित आपदा प्रबन्धन के परिपेक्ष्य में वित्त एवं बीमा का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर से अन्यून शिक्षाविद।
8	कृषि	प्रमुख सचिव कृषि, उ०प्र० शासन द्वारा नामित आपदा प्रबन्धन (सूखा इत्यादि) का अनुभव रखने वाले अपर निदेशक से अन्यून अधिकारी।
9	अग्निशमन	महानिदेशक, अग्निशमन, उ०प्र० द्वारा नामित आपदा प्रबन्धन का अनुभव रखने वाले महानिरीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी।
10	पशुपालन	प्रमुख सचिव पशुपालन, उ०प्र० शासन द्वारा नामित आपदा प्रबन्धन का अनुभव रखने वाले अपर निदेशक स्तर से अन्यून अधिकारी।
11	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा नामित एक सदस्य।	
12	परियोजना निदेशक, सामान्य प्रशासन एवं एच०आर०डी०, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ – सदस्य संयोजक।	

2— उक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन कार्यों में सहयोग प्रदान करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों/सदस्यों को भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में सम्मिलित किया जाता है:—

1	रेडक्रास सोसाइटी, उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित 03 सदस्यों के पैनल में से शासन द्वारा नामित एक सदस्य।
2	फेडरेशन ऑफ इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (फिक्की) उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित 03 सदस्यों के पैनल में से शासन द्वारा नामित एक सदस्य।
3	एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित 03 सदस्यों के पैनल में से शासन द्वारा नामित एक सदस्य।
4	कन्फेडरेशन ऑफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सी०आई०आई०) उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित 03 सदस्यों के पैनल में से शासन द्वारा नामित एक सदस्य।
5	इन्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई०आई०ए०) उ०प्र० द्वारा प्रस्तावित 03 सदस्यों के पैनल में से शासन द्वारा नामित एक सदस्य।
6	मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित कोई 03 सदस्य।

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या 4692/1-11-2017-17(जी)/2017 दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अक्षयक्ष, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण।
2. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव कृषि, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव सिंचाई, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव पशुपालन, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव चिकित्सा, उ0प्र0 शासन।
8. महानिदेशक, अग्निशमन, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, रिमोट सेंसिंग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ।
11. निदेशक, आई0आई0टी कानपुर।
12. निदेशक, आई0आई0टी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी।
13. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ।
14. रेडक्रास सोसाइटी, उ0प्र0।
15. फेडरेशन ऑफ इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (फिक्की) उ0प्र0।
16. एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) उ0प्र0।
17. कन्फेडरेशन ऑफ इन्डियन इन्डस्ट्री (सी0आई0आई0) उ0प्र0।
18. इन्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) उ0प्र0।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रंजन कुमार)
सचिव